समक्ष रंजन गोगोई और राजन गुप्ता, जे जे,

कैप्टन सुदीप बिस्वास, *-याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत संघ और अन्य- *प्रतिवादी*

2003 में एलपीए संख्या 439

1993 का CWPNo.4193

6 अक्टूबर 2010

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226–सेना अधिनियम, 1950–एस.19–सेना नियम, 1954–आरआई। 14–सेना के कप्तान द्वारा दूसरी शादी करना–पहली पत्नी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग, उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप–कोर्ट मार्शल से छूट देते हुए बिना कोई कारण दर्ज किए याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करना–प्रतिवादी उप-द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेने में विफल रहे। 1954 नियमों का नियम 14(2) - अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश के रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया, जबकि उत्तरदाताओं को दो महीने के भीतर कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने की छूट दी गई, अन्यथा कैप्टन को बहाल किया जा सकता था।

माना गया कि नियमों के नियम 14 में निहित योजना का सार यह दर्शाता है कि यदि उप-नियम 14(2) की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर कोर्ट मार्शल का आदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां एक कोर्ट मार्शल को अनुचित या अव्यावहारिक माना जाता है, अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण और अपना बचाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जिस पर विचार करके आगे की कार्रवाई की जा सकती है। आर्मी रूल्स के नियम 14(2) के बाद के प्रावधान

"सिविल कार्रवाई" या "विभागीय कार्रवाई" के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिसका सहारा किसी अधिकारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि नियम 14 (2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह केवल उस स्थिति में है जहां कोर्ट मार्शल का आचरण अनुचित या अव्यवहारिक माना जाता है और साथ ही अधिकारी को बनाए रखना अवांछनीय माना जाता है। नियम 14(2) के बाद के प्रावधान जो नागरिक या विभागीय कार्रवाई पर विचार करते हैं, लागू किए जा सकते हैं।

आगे यह माना गया कि सीमित न्यायिक संतुष्टि तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके विपरीत, यह माना जाना चाहिए कि कोर्ट मार्शल को समाप्त करने के कारणों के अभाव में यह निष्कर्ष कि कोर्ट मार्शल समीचीन मामला नहीं है, ख़राब हो जाएगा। नियम 14(2) के दूसरे भाग में विचार किया गया यह अभ्यास केवल तभी लागू होता है जब कोर्ट मार्शल को सही और सही कारणों से समाप्त कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में जहां कोर्ट मार्शल से छूट देने का निर्णय इसके समर्थन में किसी भी कारण की अनुपस्थिति के कारण गलत ठहराया गया है, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि नियम 14(2) के बाद के भाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिया जाए। उत्तरदाताओं द्वारा नहीं बनाया जा सका।

(पैरा 10)

विजय लांसरिया वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस सिद्धू, अधिवक्ता और सुश्री स्नेहा कलिता के साथ, *अपीलार्थी की ओर से* अधिवक्ता ।

अनिल राठी , *प्रतिवादियों के वकील।*

रमन गोगोई, जे. (मौखिक)

(1) सुना।

(2) यह अपील 5 अगस्त 2003 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित किया गया। दायर रिट याचिका

में अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 1992 के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उन्हें सेना नियम, 1954 के नियम 14 के साथ पठित आर्मी अधिनियम, 1950 की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

(3) उत्पन्न हुए मुद्दों के प्रभावी निर्णय के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, वे इस प्रकार हैं :

(4) वर्ष 1981 में अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। उन्हें वर्ष 1986 में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था। वर्ष 1988 में, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने सुश्री रितु घोष से शादी की। 11 सितंबर 1989 को अपीलकर्ता की पत्नी ने पश्चिमी कमान के डिप्टी जज एडवोकेट जनरल को एक लिखित शिकायत की थी जिसमें अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता और उसकी मां द्वारा दहेज की मांग, उत्पीड़न और शारीरिक हमले का आरोप लगाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिकायत की एक प्रति अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को उनकी टिप्पणियों के लिए समर्थन किया गया था जो 9 जनवरी 1990 को विधिवत प्रस्तुत की गई थीं। इसके बाद जो हुआ वह 10 सितंबर, 1990 को छोड़कर इस अपील के प्रयोजनों के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं होगा सिवाय इसके कि को सेनाध्यक्ष, उप महानिदेशक के माध्यम से, सेना नियम के नियम 14 के साथ पठित सेना अधिनियम की धारा 19 के तहत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को यह कारण बताने के लिए कहा गया कि आचरण के कारण उसकी सेवा क्यों समाप्त नहीं की जानी चाहिए, जो कथित तौर पर अशोभनीय था। उक्त संचार में यह भी कहा गया था कि कथित कदाचार के संबंध में कोर्ट मार्शल द्वारा अपीलकर्ता का मुकदमा "सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण समीचीन है"। अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 5 अक्टूबर 1990 प्रस्तुत किया था, जिसमें आरोपों से इनकार किया गया था, हालांकि, इस तथ्य को उत्तरदाताओं ने स्वीकार नहीं किया है, जिनका तर्क है कि 5 अक्टूबर 1990 के उक्त संचार में अपीलकर्ता ने केवल अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उपरोक्त रुख अपीलकर्ता द्वारा विवादित है, जिसका तर्क है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर हलफनामे में यह वस्तुतः स्वीकार किया गया है कि 5 अक्टूबर 1990 के उत्तर

में अपीलकर्ता का बचाव शामिल था। जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि 30 जुलाई 1992 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलकर्ता को स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त होने या अनिवार्य सेवानिवृत्त होने का परिणाम भुगतने के लिए कहा गया था। इसके बाद, 1 सितंबर 1992 को, अपीलकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की चुनौती को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद वर्तमान अपील दायर की गई है।

(5) चूंकि प्रतिवादियों की विवादित कार्रवाई अधिनियम की धारा 19 और सेना नियमों के नियम 14 में निहित प्रावधानों पर आधारित है, इसलिए अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को निकालना उचित होगा: -

(6) *केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्ति .* - इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर सकती है, या हटा सकती है।

(7) *'कदाचार के कारण केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्ति।* – (I) जब धारा 19 के तहत किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव हो

कदाचार, उसे ऐसी कार्रवाई के खिलाफ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से कारण बताने का अवसर दिया जाएगा-

बशर्ते कि यह उपनियम लागू नहीं होगा-

(a) जहां कदाचार के आधार पर सेवा समाप्त कर दी गई है जिसके कारण उसे आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था; या

(b) जहां केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिकारी को कारण बताने का अवसर देना समीचीन या उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

(2) जब किसी अधिकारी के कदाचार पर रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार या सेनाध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं कि कोर्ट मार्शल द्वारा अधिकारी का मुकदमा अनुचित या अव्यवहारिक है, लेकिन उनकी राय है कि उक्त अधिकारी को आगे बनाए रखना सेवा में अवांछनीय है, सेनाध्यक्ष को अपने प्रतिकूल सभी रिपोर्टों के साथ अधिकारी को सूचित करना होगा और उसे लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण और बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा:

बशर्ते कि सेनाध्यक्ष ऐसी किसी भी रिपोर्ट या राय को प्रकट करने से रोक सकता है, यदि उसकी राय में, इसका प्रकटीकरण राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

एनी स्टाफ के प्रमुख द्वारा अधिकारी के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माने जाने की स्थिति में, या जब केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाता है, तो मामला अधिकारी के बचाव और प्रमुख की सिफारिश के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से अधिकारी की सेवा समाप्त करने के संबंध में।

(3) जहां, किसी आपराधिक अदालत द्वारा किसी अधिकारी को दोषी ठहराए जाने पर, केंद्र सरकार या सेना प्रमुख यह मानते हैं कि अधिकारी का आचरण जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है, सेवा में उसे आगे बनाए रखना अवांछनीय है, के फैसले की प्रमाणित प्रति उसे दोषी ठहराने वाली आपराधिक अदालत को उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से अधिकारी की सेवा समाप्त करने की सिफारिश के साथ सेना प्रमुख की सिफारिश के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को मामला प्रस्तुत करते समय, सेनाध्यक्ष अपनी सिफारिश करेगा कि क्या अधिकारी की सेवा समाप्त की जानी चाहिए, और यदि हां, तो क्या अधिकारी होना चाहिए-

(a) सेवा से बर्खास्त; या

(b) सेवा से हटा दिया गया; या

(c) सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

(5) केंद्र सरकार रिपोर्ट और अधिकारी के बचाव , यदि कोई हो, या आपराधिक अदालत के फैसले , जैसा भी मामला हो, और सेना प्रमुख की सिफारिश पर विचार करने के बाद,-

(a) अधिकारी को पेंशन या ग्रेच्युटी सहित या उसके बिना बर्खास्त करना या हटाना; या

(b) उसे स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, के साथ सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए।"

(6) जबकि धारा 19 केंद्र सरकार को उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने या हटाने की शक्ति प्रदान करती है, सेना नियमों का नियम 14 एवं धारा 19 वह प्रक्रिया बताता है जिसका पालन किया जाना चाहिए । नियम 14 में निहित प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि ऐसी स्थिति में जहां कदाचार के कारण धारा 19 के तहत किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव है, उसे नियम 14 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। हालाँकि, उपनियम (2) में निहित प्रावधानों को नियम 14(1) के उपखंड (ए) और (बी) द्वारा विचारित स्थितियों में समाप्त किया जा सकता है। नियम 14 (2) इस बात पर विचार करता है कि जब केंद्र सरकार या सेनाध्यक्ष, जैसा भी हो, किसी अधिकारी के कदाचार की रिपोर्ट पर विचार करने पर संतुष्ट हो जाते हैं कि अधिकारी का मुकदमा कोर्ट मार्शल द्वारा यह अनुचित या अव्यावहारिक है, लेकिन साथ ही उनकी राय है कि उक्त अधिकारी को आगे बनाए रखना वांछनीय नहीं है, तो सेनाध्यक्ष को अपने प्रतिकूल सभी रिपोर्टों के साथ अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है और उसे अपना स्पष्टीकरण और बचाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था । इसके बाद, नियम 14(2) के प्रावधान इस बात पर विचार करते हैं कि अधिकारी की सुरक्षा और सेनाध्यक्ष की सिफारिश के साथ आसानी केंद्र सरकार को सौंपी

जाएगी , जिसके बाद बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति दी जा सकती है। आह्वान किया।

(7) नियमों के नियम 14 में निहित योजना का सार यह दर्शाता है कि यदि उप नियम 14 (2) की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर कोर्ट मार्शल का आदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां कोर्ट मार्शल पर विचार किया जाता है। अनुचित या अव्यावहारिक होने पर, अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण और अपना बचाव लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है, जिस पर विचार करने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, सेना नियमों के नियम 14(2) के बाद के प्रावधान "सिविल कार्रवाई" या "विभागीय कार्रवाई" के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिसका सहारा किसी अधिकारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि नियम 14(2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह केवल उस स्थिति में है जहां कोर्ट मार्शल का आचरण अनुचित या अव्यवहारिक माना जाता है और साथ ही अधिकारी को बनाए रखना अवांछनीय माना जाता है। नियम 14(2) के बाद के प्रावधान जो नागरिक या विभागीय कार्रवाई पर विचार करते हैं, लागू किए जा सकते हैं।

(8) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सेना प्रमुख के 10 सितंबर 1990 के पत्र से यह स्पष्ट है कि सेना प्रमुख ने माना था कि वर्तमान मामले में सेवा की अनिवार्यता के कारण कोर्ट मार्शल आयोजित करना अनुचित था।

(9) वे कौन से कारण हैं जिन्होंने सेनाध्यक्ष को उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया, उत्तरदाताओं द्वारा इसका संकेत नहीं दिया गया। वास्तव में, इस अदालत की इच्छा थी कि उपरोक्त निर्णय लेने के कारणों और तरीके को दर्शाने वाले मूल रिकॉर्ड उसके समक्ष रखे जाएं। विशेष रूप से, 29 सितंबर 2010 के आदेश द्वारा, उक्त रिकॉर्ड को न्यायालय के समक्ष रखने में सक्षम बनाने के लिए आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उपरोक्त के बावजूद संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम, जो उत्तरदाताओं की हिरासत में हैं, यह है कि न्यायालय

को उन कारणों के लाभ से वंचित कर दिया गया है जिसके कारण सेनाध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। कोर्ट मार्शल आयोजित करना समीचीन है।

(10) बार-बार न्यायिक फैसले ने इस बात पर जोर दिया है कि कारण बुनियादी तथ्यों और निष्कर्षों के बीच जीवंत संबंध हैं। जबकि कारणों की पर्याप्तता या उसकी पर्याप्तता पर अदालत द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा जब क़ानून द्वारा विचार किए गए प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय पर पहुंचा जाना है, अदालत की शक्ति निर्दिष्ट की प्रासंगिकता की जांच तक विस्तारित होगी या निर्णय लेने के कारणों को दर्ज किया गया। दुर्भाग्य से, वर्तमान मामले में, सीमित न्यायिक संतुष्टि तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत, यह माना जाना चाहिए कि कोर्ट मार्शल को समाप्त करने के कारणों के अभाव में यह निष्कर्ष कि कोर्ट मार्शल समीचीन मामला नहीं है, ख़राब हो जाएगा। नियम 14(2) के दूसरे भाग द्वारा विचार किया गया अभ्यास तभी लागू होता है जब कोर्ट मार्शल को सही और सही कारणों से समाप्त कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में जहां कोर्ट मार्शल से छूट देने के निर्णय को इसके समर्थन में किसी भी कारण की अनुपस्थिति के कारण दूषित माना गया है, अदालत को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि नियम 14 के बाद के भाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिया जाए। (2) उत्तरदाताओं द्वारा नहीं बनाया जा सका।

(11) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने के लिए एक पूरक तर्क दिया गया है कि नियम 14(2) के दूसरे भाग द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए भी, उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाने में बहुत गलती की है कि कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सेनाध्यक्ष द्वारा 10 सितंबर 1990 को जारी कारण बताओ नोटिस के अपीलकर्ता। आगे यह तर्क दिया गया है कि मामले में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जिन तक पहुंच अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी।

(12) कोर्ट मार्शल से छूट के कारणों की अनुप्स्थिती के संबंध में अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का खंडन करने के लिए , केंद्र सरकार के विद्वान वकील ने **भारत सरकार** *बनाम* **कैप्टन** के मामले में शीर्ष न्यायालय

द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया है। कप्तान **एस. के. राव** [1] 2004 के एलपीए संख्या 251 में दिए गए इस न्यायालय के एक और फैसले जिसका शीर्षक था **"भारत संघ और अन्य** *बनाम* **संपूर्ण सिंह"** पर भी भरोसा किया गया है।

(13) हमने सेनाध्यक्ष द्वारा जारी 10 सितंबर 1990 के नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 5 अक्टूबर 1990 के उत्तर को पढ़ा और उस पर विचार किया है। उक्त उत्तर को पढ़ते हुए हम यह विचार करने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज़ की सामग्री अपीलकर्ता की बुनियादी रक्षा को प्रतिबिंबित कर सकती है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय का कोई फायदा नहीं हुआ। भारत संघ *बनाम* कैप्टन एसके राव *(सुप्रा) मामले में,* शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या नियम 14 (2) के बाद के भाग द्वारा विचार की गई नागरिक/विभागीय कार्रवाई का सहारा लेना धारा 45 के प्रावधानों के दायरे से बाहर है। सेना अधिनियम, हालाँकि , ऐसी नागरिक/विभागीय कार्रवाई का प्रभाव कोर्ट मार्शल से मुक्ति का था। दी गई चुनौती को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण होगा और इसलिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि उपरोक्त मामले में कोर्ट मार्शल की व्यवस्था, जो विशेष रूप से नियम 14 (2) के तहत बनाई गई थी, को चुनौती नहीं दी गई थी जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। 2004 के एलपीए संख्या 251 *(सुप्रा)* में इस न्यायालय का निर्णय भी अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित है और इसलिए, हमारे सामने विवाद में मुद्दे पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

(14) उपरोक्त चर्चा का शुद्ध परिणाम यह है कि नियम 14 (2) के पहले भाग द्वारा विचारित कोर्ट मार्शल की व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किसी भी कारण के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि नियम 14 के बाद के भाग का सहारा लिया जाए (2) अपीलार्थी के मामले में न्यायोचित नहीं था। जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत

[1] (1972) 1 एससीसी 144।

दिनांक 5 अक्टूबर 1990 के उत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए मूल बचाव में यह शामिल था कि याचिकाकर्ता द्वारा 10 सितंबर 1990 को जारी किए गए नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था। सेनाध्यक्ष का कथन भी सही नहीं है।

(15) अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर निर्णय लिया जाना है वह उस राहत का है जिसके लिए अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को उन निष्कर्षों पर हकदार माना जाना चाहिए जो हमने ऊपर दर्ज किए हैं।

(16) जिस आधार पर हमने कोर्ट मार्शल की व्यवस्था को उचित नहीं ठहराया है, उसके लिए हमें इनबिल्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद नियम 14 (2) के पहले भाग को लागू करने के लिए उत्तरदाताओं के लिए इसे खुला छोड़ना होगा जो कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। हमारा निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी यह मानकर नागरिक/विभागीय कार्रवाई के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे कि याचिकाकर्ता ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि डे *नोवो* प्रक्रिया का परिणाम क्या होगा जिसे अब पहले भाग के तहत शुरू करना होगा। नियम 14(2) के. इसलिए, इस स्तर पर, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को सभी देनदारियों से मुक्त रखना जल्दबाजी होगी। ऐसी स्थिति में जहां अपीलकर्ता का दायित्व, यदि कोई हो, अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, तो हमारा विचार है कि बहाली की राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए, हम इसे अस्वीकार करते हैं और इस अपील को बंद कर देते हैं और उत्तरदाताओं को वर्तमान निर्देशों के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं और जैसा उन्हें सलाह दी जा सकती है। हालाँकि, यदि उत्तरदाता इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर मामले को फिर से खोलना उचित नहीं समझते हैं, तो वे याचिकाकर्ता को ऐसे पद पर बहाल करने का आदेश देने के लिए बाध्य होंगे जिसके लिए अपीलकर्ता- रिट याचिकाकर्ता को परिणामी लाभों के साथ फिट पाया जा सकता है बशर्ते कि अपीलकर्ता सेना में सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हो।

(17) परिणामस्वरूप रिट-अपील को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2003 को रद्द किया जाता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि उत्तरदाताओं

ने समय की लंबी बर्बादी को देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से आगे बढ़ने का फैसला किया, तो उत्तरदाताओं को ऐसी किसी भी कार्यवाही का समापन उसके शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर सुनिश्चित करना चाहिए। रिट याचिका स्वीकार की गयी।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा